न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्याः 66 / 2015 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2015 / 00134

शरबती बेवा बीरबलराम जाति ब्राह्मण निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. भानीराम पुत्र जयमलराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव मोरजड़ खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री चतुर्भुत सारस्वत — अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर प्रसाद शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 30.09.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 10.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के चक 1 केएसआर बी प.न. 38 / 346 किला नंबर 3 से 8, 12 ता 18 तथा प.न. 37 / 346 किला नंबर 11 से 14 तक, 17 से 24 कुल 25 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि श्री बीरबलराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। श्री बीरबलराम का स्वर्गवास दिनांक 01.06.1996 को होने के पश्चात् दिनाक 20.07.2001 को इन्तकाल संख्या 44 एकमात्र वारिस होने के कारण अपीलार्थी के नाम दर्ज हो गया। जिसमें से अपीलार्थी ने प.न. 34 / 246 के किला नंबर 20 ता 24 की 5 बीघा भूमि बलराम वर्मा को दिनांक 21.07.2001 को बेच दी। जिसका इन्तकाल दिनांक 06.08.2001 को दर्ज बलराम वर्मा के नाम दर्ज हो गया। तत्पश्चात् भानीराम पुत्र जयमलराम ने दिनांक 13.09.1993 की एक वसीयत प्रस्तुत की। जिसमें सारी भूमि भानीराम के नाम वसीयत होनी बताया। अधिनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने भानीराम की अपील स्वीकार करते हुए इन्तकाल संख्या 44

संभागीय आ...
बीकानेर

दिनांक 20.07.2001 को निरस्त करते हुए तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को वसीयत दिनांक 13.09.1993 के आधार पर नवीन इन्तकाल अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ़ द्वारा जारी स्थगन आदेश में वर्णित प.नं. 37/346 के किला नंबर 20 ता 24 की 5 बीघा भूमि को छोड़कर शेष 20 बीघा भूमि का इन्तकाल रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज करने के निर्देश दिए। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री चतुर्भुज सारस्वत ने अपनी लिखित बहस द्वारा अवगत कराया कि चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के चक 1 केएसआर बी प.न. 38/346 किला नंबर 3 से 8, 12 ता 19 तथा प.न. 37/346 किला नंबर 11 से 14 तक, 17 से 24 कुल 25 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि है जो कि प्रार्थिया के पति बीरबलराम के नाम दर्ज थी। बीरबलराम के स्वर्गवास दिनांक 01.06.1996 को होने के पश्चात् इन्तकाल संख्या 44 दिनांक 20.07.2001 प्रार्थिया श्रीमति शरबती के नाम दर्ज हो गया। जिसमें से अपीलार्थी ने प.न. 34/246 के किला नंबर 20 ता 24 की 5 बीघा भूमि बलराम वर्मा को दिनांक 21.07.2001 को बेच दी। जिसका इन्तकाल दिनांक 06.08.2001 को दर्ज बलराम वर्मा के नाम दर्ज हो गया। तत्पश्चात् भानीराम पुत्र जयमलराम ने दिनांक 13.09.1993 की एक तथाकथित वसीयत प्रस्तुत की, जिसमें सारी भूमि भानीराम के नाम वसीयत होनी बताया। उक्त वसीयत के बाबत सिविल न्यायालयों, राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य रिकार्ड पर होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की अपील दिनांक 10.06.2015 को स्वीकार करते हुए इन्तकाल संख्या 44 निरस्त कर दिया। चूंकि प्रार्थिया स्व. बीरबलराम की एकमात्र जायज वारिस है। स्व. बीरबलराम से उक्त तथाकथित वसीयत धोखे में रखकर करवाई गई है जो संदेहास्पद है। अगर उक्त सम्पति को आवंटन भी माना जावे तो यह राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजान सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय), नियम 1955 के नियम 3 टाउन आवंटन 3 (1—क) के अनुसार आवंटन पति व पत्नि दोनों को माना जाएगा। किन्तु उक्त तथाकथित वसीयत में संयुक्त आवंटी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः वसीयत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। इस संदर्भ में RRT 2003(1) पेज संख्या 650 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश प्रेमाबाई बनाम केलाराम RBJ 2008 पेज संख्या 67 प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने लिखित बहस पेश कर अवगत कराया कि उक्त अपील सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। वसीयतकर्ता स्व. बीरबलराम ने भानीराम पुत्र जयमलराम के हक में दिनांक 13.09.1993 को रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी। अपीलार्थी द्वारा उक्त वसीयत के विरूद्ध सिविल न्यायालय में दायर दावा भी दिनांक 29.06.2006 को खारिज हो चुका है। बीरबलराम दिनांक 01.06.1996 को फौत होने के बाद अपीलार्थी शरबती ने भानीराम के हक में रजिस्टर्ड वसीयत होते हुए भी इन्तकाल संख्या 44 दर्ज करवाकर उक्त विवादित भूमि में से 5 बीघा भूमि दिनांक 21.07.2001 को श्री बलराम वर्मा को बेच दी, जिसका इन्तकाल संख्या 45 दिनांक 06.08.2001 श्री बलराम वर्मा के नाम दर्ज हो गया। उक्त इन्तकाल संख्या 45 के विरूद्ध भानीराम द्वारा दावा किया गया जो दिनांक 03.03.2015 को स्वीकार हो गया जिससे बलराम के हक में किया गया बेचवान भी खारिज हो गया और बलराम के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 45 खारिज होकर उक्त 5 बीघा भूमि पुनः शरबती के नाम से दर्ज हो गई। सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.03.2015 के विरूद्ध अपील जैरकार है और 5 बीघा का स्थगन है। शरबती द्वारा वसीयत को निरस्त करने के लिये किये गये दावे भी क्रमशः दिनांक 29.06.2006 एवं 16.10.2014 को खारिज हो चुके है। तत्पश्चात् भानीराम ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को इन्तकाल संख्या 44 दिनांक 20.07.2001 की अपील को पुनः पेशी में लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2015 को इस आधार पर पेश किया कि अपीलांट शरबती के द्वारा वसीयत को निरस्त करने के लिये किये गये दावे क्रमशः दिनांक 29.06.2006 एवं 16.10.2014 को खारिज किये जा चुके है। अतः मिसल पेशी में ली जाकर इन्तकाल उसके नाम दर्ज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2015 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ ने उक्त विवादित 25 बीघा भूमि में से 20 बीघा आराजी जैर अपील भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट भानीराम के हक में दर्ज कर दिया तथा शेष 5 बीघा भूमि पर अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ़ का स्थगन आदेश होने के कारण उक्त रकबे को यथावत रखा गया है। अपीलार्थी शरबती का अपनी बहस में यह लिखना कि स्व. बीरबलराम की वह एकमात्र वारिस थी, गलत है। जब किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत कर दी जाती है तो उत्तराधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके हक में वसीयत की गई हो। आराजी जैर अपील भूमि स्व. बीरबलराम के नाम दर्ज थी जिसकी वसीयत करने का वह पूर्ण अधिकारी था। सिविल न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा पेश वाद खारिज हो चुका है। किसी भी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की लिखित बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के चक 1 केएसआर बी प.न. 38/346 किला नंबर 3 से 8 व 12 ता 18 तथा प.न. 37/346 किला नंबर 11 से 14 व 17 से 24 कुल 25 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि श्री बीरबलराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। बीरबलराम ने उक्त भूमि दिनांक 13.09.1993 को अपने भाई के पुत्र भानीराम पुत्र जयमलराम के हक में रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में इस वसीयत के संबंध में स्वंय कोई परीक्षण या विवेचना नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2015 में अपील के गुणावगुणों पर कोई गौर नहीं किया गया है। निर्णय में रेस्पोडेंट सं. 1 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत के संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई है, ना ही विरासतन इंतकाल के बारे में अपनी कोई राय स्पष्ट की है। अपीलाधीन निर्णय में केवलमात्र प्रकरण 14 वर्षो से लम्बित रहने और वादिया द्वारा प्रकरण को लम्बा किये जाने की गरज से विभिन्न सिविल न्यायालयों में वाद दायर करने की कुचेष्टा करने आदि का उल्लेख किया गया है, जो अपील के मूल तथ्यों के प्रतिकूल एवं निरर्थक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा वसीयत कब व किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है, इसका कंही भी उल्लेख नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत के संबंध में स्वंय कोई विधिवत परीक्षण आदि नहीं करवाये हैं। केवल मात्र सिविल न्यायालयों के पारित आदेशों का सहारा लिया है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय तथ्यों की सही विवेचना के अभाव में स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अतः न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण को उसके गुणावगुण के आधार पर तथा वसीयत का अपने स्तर से परीक्षण कराते हुए विधि सम्मत निर्णय पुनः पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर